न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—268/2018/225 आर.टी.एक्ट (2018/00268)

1. प्रेमप्रकाश पुत्र शिवजीलाल (फौत) जरिए वारिसानः—
   1/1 कान्ता पत्नी स्व0 प्रेमप्रकाश
   1/2 पवन कुमार जोशी पुत्र स्व0 प्रेमप्रकाश
   समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण म0न0 969, आजाद चौक भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।
   1/3 उर्मिला जोशी पत्नी प्रकाशचन्द शर्मा पुत्री स्व0 प्रेमप्रकाश निवासी बोगला वाया कालेडा कृष्ण गोपाल तहसील केकडी जिला अजमेर।
   1/4 विमला सनाढ्या पत्नी ओमप्रकाश सनाढ्य पुत्री स्व0 प्रेमप्रकाश निवासी म0न0 177 चित्रकारों की गली नाथद्वारा जिला राजसमन्द।
   1/5 शान्ति जोशी पत्नी महेश शर्मा पुत्री स्व0 प्रेमप्रकाश निवासी दत्तातेरय नगर, गुडली रोड एरिकेशन पाल के नीचे राजसमन्द।
   1/6 वसुधा जोशी पत्नी ताराचन्द शर्मा पुत्री स्व0 प्रेमप्रकाश निवासी न्यू गोविन्द नगर, तेजा गर्ल्स हॉस्टल के पीछे रामगंज तहसील व जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. रामनिवास दत्तक पुत्र मदनलाल जाति माली निवासी भैरू बाजार तिवाडी मोहल्ला लोहार गली के सामने भिनाय तहसील भिनाय जिला अजमेर।
2. आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा बिजयनगर जिला अजमेर जरिए प्रबंधक।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय।

रेस्पोडेन्ट्स

4. श्रीमती चन्द्रकला पत्नी दुर्गालाल पुत्री शिवजीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 14—केशवनगर यूर्निवसिटी रोड, उदयपुर।

तरतीबी/रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2018 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय राजस्व वाद संख्या 1/2018

उपस्थितः—

1. श्री एसपी0 औझा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री शाकिन्दलाल गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री राजेन्द्रसिंह राठौड अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2
4. श्री विकास पराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3
5. रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—27.03.2026

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट एवं तरतीबी रेस्पोडेंट ने एक राजस्व वाद उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के न्यायालय में प्रतिवादी/रेस्पोडेंट के विरूद्ध धारा 88 व 188 बाबत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया तथा उक्त वाद के साथ एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दिनांक 19.06.2018 को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 4 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने प्रार्थी व उसके अभिभाषक को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा 2018 में पत्रावली को दिनांक 19.06.2018 को नियत की गयी बरवक्त पत्रवाली सुनवाई हेतु पूर्ण नहीं थी क्योंकि अप्रार्थी सं0 2 की तलबी में नियत थी। अपूर्ण पत्रावली में निर्णय पारित कर अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय, राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वारा—2018 के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.06.2018 कारण रहित नॉन स्पीकिंग आदेश है जो आदेश की परिभाषा में नहीं आता है साथ ही लोक अदालत में वही प्रकरण निर्णित किये जा सकते है जो राजीनामें के आधार पर निर्णित हो। पत्रावली में किसी प्रकार को कोई राजीनामा प्रस्तुत नहीं हुआ था तथा पत्रावली भी अपूर्ण थी उसके बावजूद अंतर्गत आदेश अपील पारित करने में भारी भूल की है। अप्रार्थी सं० 1 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 22.03. 2018 को एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गयी थी अर्थात् उस की ओर से ना तो अप्रार्थी सं० 1 उपस्थित हुआ और ना ही कोई जवाब प्रस्तुत हुआ और ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की गयी जबकि प्रार्थीगण ने अपने प्रकरण को सिद्ध करने के लिये जमाबन्दी फसली 1359 प्रस्तुत की जो प्रार्थीगण के पिता व उनके पारिवारिक सदस्यों के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा संवत् 2024 से 2027 की जमाबन्दी प्रस्तुत की जो प्रार्थीगण के पिता के नाम दर्ज है जो अंतिम चौसाला जमाबन्दी थी तथा मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किये गये जो पूर्व खसरा नम्बरों की ताईद करते है लेकिन भू—प्रबन्ध विभाग वालों ने भू—प्रबन्ध के दौरान विवादित आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश

के मदनलाल पुत्र कालू के नाम दर्ज की गयी जिसका कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हुआ तथा आधार जमाबन्दी में उक्त आराजी को वर्तमान अप्रार्थी सं० 1 के नाम गोद पुत्र के आधार पर दर्ज कर दी गयी तथा उक्त आराजी को अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज होते ही अप्रार्थी सं0 2 के यहां पर रहन रख दी। जिससे यह स्पष्ट है कि भू–प्रबन्ध के दौराने गलत रूप से विवादित आराजी को बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के दर्ज की गयी है अगर ऐसा कोई आदेश होता तो अप्रार्थी सं० 1 उपस्थित होकर जवाब के साथ प्रस्तुत करता। उसके बावजूद हाल राजस्व रिकार्ड को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये एवं प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किये बगैर अपने कारण रहित आदेश से प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के समक्ष मुख्य रूप से विवाद प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1 व 2 के मध्य था अप्रार्थी सं० 3 फोर्मल पक्षकार थी जिसकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ तथा पेरोकार सरकार की बहस अंकित करते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने में भारी भूल की है। प्रार्थी के पिता व उनके पारिवारिक सदस्य की खातेदारी की आराजी रही है तथा उक्त चाह प्रार्थी के कब्जे में है तथा प्रार्थी उक्त चाह से अपनी खातेदारी की आराजी सिंचित करता आ रहा है उक्त आराजी से अप्रार्थीगण या उसके गोद पिता का कोई संबंध नहीं रहा है लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने गलत रूप से उक्त आराजी को वर्किंग जमाबन्दी में मदनलाल के नाम दर्ज कर दी है तथा अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज कर दी है जो गलत है। जिसका कोई आधार नहीं है उसके बावजूद अंतर्गत आदेश अपील पारित करने में भारी भूल की है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार ही प्रकरण में निर्णय पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधिसम्मत है, इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रार्थी/अपीलांट की बहस पर मनन करते हुए दिनांक 19.06.2018 को प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज किए जाने के आदेश पारित किए गए। उक्त आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष प्रकरण में अपील प्रस्तुत की गई है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली को राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 में दिनांक 19.06.2018 को नियत किया गया, परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया कि लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण

किया जाता है जिन प्रकरणों में उभयपक्षों के मध्य राजीनामा तस्दीक किया गया हो परंतु वर्तमान प्रकरण में अप्रार्थी उपस्थित ही नहीं हुए तथा अप्रार्थी संख्या 2 की तलबी भी अपूर्ण थी। बावजूद इसके अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत में अविधिक रूप से किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र का निस्तारण प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के तीनों बिंदुओं का बिना विवेचन किए ही किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण से बिना जवाब प्राप्त किए व जवाब प्रस्तुत किए जाने का समुचित अवसर दिए ही प्रार्थना पत्र का एकपक्षीय रूप से निस्तारण किया गया।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय में विधिक त्रुटि कारित हुई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 1/2018 में पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 को निरस्त किया जाता है व पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती हैं कि प्रकरण से संबंधित पक्षकारान की तामीली विधिवत रूप से की जाकर अप्रार्थी से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 का जवाब प्राप्त कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में आवश्यक बिंदुओं यथा प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिंदुओं का विस्तृत विवेचन कर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.2026 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर